भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-181

दिनांक 12 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानि

†*181. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानि का वर्तमान राष्ट्रीय औसत और इसकी राज्य-वार तुलना क्या है;

(ख) सरकार द्वारा वितरण नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) तथा एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के अंतर्गत क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) तकनीकी हानि का राज्य विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) सरकार द्वारा कर्नाटक में 'फीडर मीटरिंग' और 'स्मार्ट-ग्रिड' की संस्थापना को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या कर्नाटक के दावणगेरे जिले में कोई 'स्मार्ट मीटरिंग' प्रायोगिक परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>विवरण</u>

"सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानि" के संबंध में दिनांक 12.02.2026 को उतरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 181 के संबंध में भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग) : विद्युत एक समवर्ती विषय होने के कारण सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकारों/वितरण यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार वितरण यूटिलिटी की वित्तीय स्थिति में सुधार, विशेष रूप से उनकी समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी लाने हेतु राज्यों के प्रयासों को निरंतर सहयोग प्रदान कर रही है। इस मानदंड में तकनीकी हानियाँ शामिल है जो वितरण नेटवर्क में ऊर्जा क्षति के कारण बिल नहीं हो पाने वाली ऊर्जा को दर्शाता है और चोरी, बिलिंग की गलतियों और बिल की गई एनर्जी के निमित्त वसूली में कमी के कारण होने वाले वाणिज्यिक हानियों को दिखाता है।

तकनीकी हानियों में सुधार हेतु एक प्रमुख उपाय वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करना है जिसके के लिए भारत सरकार ने समेकित विद्युत वितरण योजना (आईपीडीएस) तथा वर्तमान में संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) जैसी स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, ताकि सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य की पूर्ति की जा सके।

आईपीडीएस को भारत सरकार द्वारा दिसंबर, 2014 में देश के शहरी क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत ₹58,686 करोड़ के कार्य निष्पादित किए गए।

आरडीएसएस को जुलाई, 2021 में प्रारंभ किया गया था जिसका उद्देश्य वित्तीय रूप से स्थिर एवं प्रचालन की दृष्टि से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर हानि न्यूनीकरण अवसंरचना हेतु ₹1.53 लाख करोड़ तथा स्मार्ट मीटरिंग हेतु ₹1.31 लाख करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।

वितरण नेटवर्क को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए निम्नलिखित कार्यों को उपर्युक्त स्कीमों के तहत मंजूरी दी गई थी:

- गैस इंसुलेटेड स्विचगियर (जीआईएस) सबस्टेशनों सहित सबस्टेशनों के निर्माण/उन्नयन के लिए कार्य
- नए वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) की स्थापना और मौजूदा डीटी का संवर्धन
- पुराने कंडक्टरों का प्रतिस्थापन
- एचटी/एलटी लाइनों का भूमिगतकरण
- पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए) कार्य

- आरडीएसएस के तहत, 19.79 करोड़ उपभोक्ताओं को कवर करने वाले प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग कार्य और 2.11 लाख फीडरों और 52.53 लाख डीटी के लिए स्मार्ट प्रणाली मीटरिंग कार्य स्वीकृत किए गए हैं। आज तक की स्थिति अनुसार, आरडीएसएस के तहत 4.19 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, और कुल मिलाकर, विभिन्न स्कीमों के तहत देश भर में 5.59 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, जिसमें आईपीडीएस के तहत 6.54 लाख स्मार्ट मीटर शामिल हैं।

आरडीएसएस के तहत स्वीकृत कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। मार्च, 2022 को आईपीडीएस बंद हो चुकी है।

इसके अलावा, आरडीएसएस के तहत, वितरण अवसंरचना के लिए धनराशि का वितरण एटीएंडसी नुकसान सहित विभिन्न मापदंडों के निमित्त वितरण यूटिलिटी के निष्पादन से संबद्ध है। यूटिलिटी को उनके वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए उपाय करने के लिए प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है।

केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों और किए गए सुधार उपायों से, वितरण यूटिलिटी की एटीएंडसी हानियाँ राष्ट्रीय स्तर पर वित्त वर्ष 2014 में 22.62% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 15.04% हो गई है। दिनांक 31.03.2025 तक राज्यवार एटीएंडसी हानियाँ **अनुबंध** पर है।

(घ) और (ङ) : आईपीडीएस के तहत, कर्नाटक राज्य में 2,352 करोड़ रुपये के वितरण अवसंरचना संबंधी कार्य कार्यान्वित किए गए। निष्पादित कार्यों में नए जीआईएस सबस्टेशन, सबस्टेशन/डीटी का निर्माण/संवर्धन, भूमिगत केबलिंग कार्य आदि शामिल थे।

कर्नाटक ने आरडीएसएस के तहत भाग नहीं लिया है। राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 11 केवी के 18,438 फीडर ऊर्जा मीटर संस्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, केईआरसी विनियमों के अनुसार राज्य में स्मार्ट मीटरिंग कार्य किए जा रहे हैं।

लो.स.तारां.प्र.सं. 181

अनुबंध

दिनांक 31.03.2025 तक एटीएंडसी हानि (%)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**एटीएंडसी हानि (%)**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	24.14
आंध्र प्रदेश	7.87
अरुणाचल प्रदेश	46.20
असम	15.44
बिहार	15.51
छत्तीसगढ़	14.25
दिल्ली	6.56
गोवा	10.39
गुजरात	7.80
हरियाणा	11.76
हिमाचल प्रदेश	19.44
झारखंड	28.19
कर्नाटक	11.92
केरल	6.61
लद्दाख	26.82
मध्य प्रदेश	22.76
महाराष्ट्र	16.90
मणिपुर	12.90
मेघालय	17.52
मिजोरम	32.31
नागालैंड	48.86
ओडिशा	17.81
पुडुचेरी	14.72
पंजाब	19.21
राजस्थान	15.18
सिक्किम	21.84
तमिलनाडु	10.96
तेलंगाना	19.84
त्रिपुरा	29.61
उत्तर प्रदेश	19.26
उत्तराखंड	15.08
पश्चिम बंगाल	16.96
राष्ट्रीय	**15.04**

****